कार्यकारी सार

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2017 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 636 सरकारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) थे। इसमें 438 सरकारी कंपनियां, 192 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां तथा 06 सांविधिक निगम शामिल थे। यह प्रतिवेदन 406 सरकारी कम्पनियों तथा निगमो (06 सांविधिक निगमों सहित) तथा 173 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की चर्चा करता है। इस प्रतिवेदन में 57 सीपीएसई (19 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) शामिल नहीं है, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया थे या समाप्त/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुऐ थे या देय नहीं थे।

[पैरा 1.1.3]

भारत सरकार द्वारा निवेश

406 सरकारी कम्पनियों तथा निगमो के लेखाओं ने दर्शाया कि भारत सरकार (जीओआई) ने शेयर पूंजी में ₹ 3,24,270 करोड़ का निवेश किया था। 31 मार्च 2017 तक भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण की ₹ 79,671 करोड़ की राशि बकाया थी। पिछले वर्ष की तुलना में, भारत सरकार द्वारा सीपीएसई की इक्विटी में निवेश में ₹ 25,470 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की तथा 2016-17 के दौरान बकाया ऋण ₹ 11,799 करोड़ तक बढ़ा। भारत सरकार ने ₹ 56,500 करोड़ की बजटीय प्राप्ति के प्रति 14 सीपीएसई में अपने शेयर के विनिवेश से ₹ 46,246.58 करोड़ की वसूली की थी।

[पैरा 1.2.1.1, 1.2.1.2 और 1.2.2]

बाजार पूंजीकरण

31 मार्च 2017 तक उन 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (04 सहायक कम्पनियों सहित) के शेयरो का कुल बाजार मूल्य ₹ 15,14,177 करोड़ था जिसके शेयरो को 2016-17 के दौरान बेचा गया था। 31 मार्च 2017 तक 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (04 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) में भारत सरकार द्वारा धारित शेयरो का बाजार मूल्य ₹ 9,79,564 करोड़ था।

[पैरा 1.2.4]

निवेश पर प्रतिफल

212 सरकारी कम्पनियों तथा निगमो द्वारा 2016-17 के दौरान अर्जित कुल लाभ ₹ 1,58,373 करोड़ था जिसका 74.69 प्रतिशत (₹ 1,18,273 करोड़) योगदान तीन क्षेत्रो अर्थात पेट्रोलियम, कोयला तथा लिग्नाइट तथा पॉवर में 49 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा किया गया था। 2016-17 में 212 सीपीएसई का आरओई 13.78 प्रतिशत था जबकी 2015-16 में 203 सीपीएसई का आरओई 14.83 प्रतिशत था।

[पैरा 1.3.1]

एक सौ ग्यारह सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 82,491 करोड़ के लाभांश की घोषणा की। इसमें से भारत सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹ 47,226 करोड़ था जो सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में भारत सरकार द्वारा कुल निवेश (₹ 3,24,270 करोड़) पर 14.57 प्रतिशत प्रतिफल का द्योतक है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत सोलह सरकारी कम्पनियों ने ₹ 34,918 करोड़ का योगदान दिया जो सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 42.33 प्रतिशत का द्योतक है।

157 सीपीएसई ऐसे थे जिन्होंने वर्ष 2016-17 के दौरान हानि उठाई थी। इन कम्पनियों द्वारा 2015-16 में ₹ 31,957 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 30,678 करोड़ की हानि वहन की गई।

20 सीपीएसई द्वारा लाभांश की घोषणा पर सरकार के निर्देश का अनुपालन न करने के फलस्वरूप वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार को भुगतान में ₹ 5456.56 करोड़ की कमी हुई।

[पैरा 1.3.2]

निवल सम्पत्ति/संचित हानि

31 मार्च 2017 तक ₹ 1,23,194 की संचित हानि वाली 188 सरकारी कम्पनियां तथा निगम थे। इनमें से 71 कम्पनियों की निवल सम्पत्ति उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्ण रूप से क्षरित हो गई थी। इसके फलस्वरूप 31 मार्च 2017 तक इन कम्पनियों की कुल निवल सम्पत्ति ₹ 71,935 करोड़ तक नकारात्मक हो गई थी। वर्ष 2016-17 के दौरान इन 71 कम्पनियों में से केवल 11 ने ₹ 2958 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

[पैरा 1.4.1]

II. सीएजी की निरीक्षण भूमिका

630 सीपीएसई में से 544 सीपीएसई (छ: निगमों को छोड़कर) से समय पर (अर्थात 30 सितम्बर 2017 तक) वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखे प्राप्त किए गए। इनमें से, लेखापरीक्षा में 332 सीपीएसई के लेखाओं की समीक्षा की गई थी।

[पैरा 2.3.2 तथा 2.5.2]

सीएजी ने वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से आम सहमति आधार पर सीपीएसई के लेखाओं की तीन चरण लेखापरीक्षा प्रणाली को आरंभ किया। इससे उनकी वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में महवपूर्ण सुधार हुआ था। 71 सीपीएसई में तीन चरण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 में लाभप्रदता और परिसंपत्तियां/ देनदारियों के मूल्य में बदलाव क्रमश: ₹ 16,248.55 करोड़ और ₹ 21391.15 करोड़ था।

[पैरा 2.5.1]

लेखाकरण मानकों से विचलन

वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखाकरण मानकों के प्रावधानों से 16 कंपनियों में विचलनों को देखा गया था। सीएजी ने 3 कंपनियों में ऐसे विचलनों को भी बताया था।

[पैरा 2.6]

प्रबंधन पत्र

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं और कमियों को देखा गया जो कि वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपत्तियां नहीं है, प्रबंधक पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 114 सीपीएसई के प्रबंधन को सूचित की गई थीं।

[पैरा 2.7]

III. निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन की समीक्षा में विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत 52 सूचीबद्ध सीपीएसई (49 सूचीबद्ध सीपीएसई और 3 सीपीएसई जिनके बाण्ड सूचीबद्ध थे) को शामिल किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों: डीपीई दिशानिर्देशों, कॉर्पोरेट अभिशासन से सम्बन्धित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियम यद्यपि अनिवार्य थे परन्तु कुछ सीपीएसई द्वारा उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा

था। वर्ष की दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे:

- 7 सीपीएसई में निदेशक बोर्ड में गैर-कार्यकारी निर्देशकों की संख्या 50 प्रतिशत से भी कम थी। नौ सीपीएसई के निर्देशक बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

[पैरा 3.2.1 और 3.2.3]

- 37 सीपीएसई में स्वतंत्र निर्देशकों के प्रतिनिधित्व की अपेक्षित संख्या कम थी। 4 सीपीएसई के निदेशक बोर्ड में कोई स्वतंत्र निर्देशक नहीं था।

[पैरा 3.2.2]

- 29 सीपीएसई में बोर्ड बैठक/बोर्ड समिति बैठकों में कोई स्वतंत्र निर्देशक उपस्थित नहीं हुआ था, और 18 सीपीएसई में स्वतंत्र निर्देशक सामान्य बैठकों में उपस्थित नहीं हुए थे।

[पैरा 3.3.4 और 3.3.5]

- 41 सीपीएसई में निदेशक बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निर्देशकों का अपेक्षित निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया था।

[पैरा 3.3.7]

- 23 सीपीएसई में स्वतंत्र निर्देशकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था 16 सीपीएसई में कार्यकारी निर्देशकों की रिक्तियों को समय पर नहीं भरा गया था।

[पैरा 3. 5]

- जबकि स्कूटर इंडिया लिमिटेड को छोड़कर सभी समीक्षागत सीपीएसई ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया, वहीं लेखापरीक्षा समीति में स्वतंत्र निर्देशकों की संख्या छ: सीपीएसई में निर्धारित संख्या से कम थी।

[पैरा 3.6.1]

- 3 सीपीएसई में चेतावनी तंत्र नहीं था। 7 सीपीएसई में लेखापरीक्षा ने चेतावनी देने वाले तंत्र की समीक्षा नहीं की।

[पैरा 3.8.1 और 3.8.2]

IV. निगमित सामाजिक दायित्व

24 मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वो की समीक्षा में 77 सीपीएसई (7 महारत्न, 17 नवरत्न, 50 मिनीरत्न श्रैणी-I और 3 मिनीरत्न श्रेणी-II) को शामिल किया गया। समीक्षा के दौरान एक वर्ष की अवधि मार्च 2017 समाप्ति तक शामिल की गई थी। लेखापरीक्षा समीक्षा ने दर्शाया कि सभी 77 सीपीएसई ने सीएसआर समितियां गठित की हैं। तथापि, निम्नलिखित कमियां देखी गई थी:

[पैरा 4.3]

- वर्ष 2016-17 के दौरान 15 सीपीएसई ने इनके गठन में 25 से 39 महिनों की देरी के साथ सीएसआर समितियां गठित की हैं। 2016-17 के दौरान दो सीपीएसई ने समिति में स्वतंत्र निर्देशक शामिल नहीं किया था। पांच सीपीएसई की सीएसआर नीति ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्धारित 11 गतिविधियों में से गतिविधियों को शुरू किया जाना नहीं दर्शाया।

[पैरा 4.5.1.1, 4.5.1.2 और पैरा 4.5.1.4]

- लार्भाजन करने वाले 66 में से 49 समीक्षित सीपीएसई ने औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत आवंटित किया था। 13 लार्भाजन करने वाले सीपीएसई ने सीएसआर व्यय के लिए निर्धारित राशि को आवंटित नहीं था। 41 सीपीएसई के संबंध में औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत से अधिक सीएसआर पर वास्तविक व्यय था, जबकि, 25 सीपीएसई का व्यय औसत निवल लांभ के दो प्रतिशत से कम था।

[पैरा 4.5.2 और पैरा 4.5.2.1]

- सीपीएसई ने आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों में अधिक खर्च किया, जबकि पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड़, सिक्किम में व्यय महत्वहीन था।

[पैरा 4.5.2.3]

- 77 सीपीएसई में से 19 सीपीएसई ने सीएसआर गतिविधियों के चयन से पूर्व कोई आधार रेखा/आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण नहीं किया।

[पैरा 4.5.3.3]

- सीपीएसई को अपनी सीएसआर गतिविधियों में स्थानीय क्षेत्र को अधिमान देना चाहिए। 77 सीपीएसई में से 49 ने प्रचालन के स्थानीय क्षेत्र को निर्धारित किया तथापि, वे पांच सीपीएसई की सीएसआर नीति का हिस्सा नही थे। समीक्षित सीपीएसई में से 24 ने अपने सीएसआर में स्थानीय क्षेत्र को अधिमान दिया।

[पैरा 4.5.3.4]

- वर्ष 2016-17 के दौरान, 77 सीपीएसई द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं की संख्या 8840 थी तथा उन पर (गत वर्ष से आगे लाई गई राशि के खर्च सहित) सीएसआर व्यय ₹ 3150.37 करोड़ था। 1036 करोड़, ₹ 826 करोड़, ₹ 417 करोड़ तथा ₹ 394 करोड़ के कुल व्यय सहित शिक्षा तथा कौशल विकास, हेल्पकेयर, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण् निरंतरता के संबंध में गतिविधियां सीएसआर के लिए महत्व वाले क्षेत्र निर्मित किये गये। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित टेक्नोलोजी इनकम्बेशन, सशस्त्र बल, निधि तथा गंदी बस्ती क्षेत्र पर फोकस सीमित था।

[पैरा 4.5.3.5]

- 55 सीपीएसई में से 3 सीपीएसई के वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रशासनिक प्रभार पर व्यय कम्पनी के कुल सीएसआर व्यय का 5 प्रतिशत बढ़ाया। सीएसआर स्टॉफ के वेतन पर किये गये 66.60 करोड़ के व्यय सहित 26 सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर 75.61 करोड़ का कुल व्यय हुआ जो अस्वीकार्य था।

[पैरा 4.5.3.6]

- 77 सीपीएसई में से 6 सीपीएसई के स्थान पर कोई मोनिटरिंग तंत्र नहीं था।

[पैरा 4.5.4.2]

v. प्रशासनिक मंत्रालय एवं सीपीएसईज़ के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 17 नवरत्न कम्पनियों तथा संबंधित मंत्रालयों के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण किया।

[पैरा 5.5]

समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशानुसार, लक्ष्य दिये गये तथा प्रत्याक्षित परिस्थितियों के तहत अधिकतम प्राप्य होने चाहिए तथा सुसंगत वित्तीय मानदंडो के मूल लक्ष्य गत पांच वर्षो की वास्तविक प्राप्ति पर आधारित प्रक्षेपण के आधार पर निर्धारित किये जाने चाहिए। हालाँकि, आठ सीपीएसई के संबंध में नियत लक्ष्य गत वर्ष में इन मापदंडों के

प्रति उनके वास्तविक उपलब्धि की अपेक्षा कम थे। लक्ष्यो की अंडर-पिचिंग ने अंततः अधिक बेहतर रेटिंग प्राप्त करने में सहायता की। तीन सीपीएसई में मापदंडों के अनुपयुक्त मूल्यांकन को देखा गया था।

[पैरा 5.7.1]

यद्यपि एमओयू ने दिशानिर्देश राष्ट्रीय तथा अन्तरर्राष्ट्रीय समुह के संदर्भ में मापदंडों की बैंचमार्क करने का अधिकार दिया, 6 सीपीएसई में मापदंडों का पालन नहीं देखा गया।

[पैरा 5.7.3]

यद्यपि एमओयू दिशानिर्देश उसके बोर्ड पर गैर अधिकारी निदेशकों के स्थान को भरने के लिए तथा स्वतंत्र तथा महिला निदेशकों के संबंध में लिस्टिंग करार तथा कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एमओयू में प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक प्रतिबद्धता को शामिल करने के लिए सीपीएसई को अधिकार दिये, 7 सीपीएसई में कुछ स्वतंत्र एवं महिला निदेशकों के कुछ स्थान खाली थे।

[पैरा 5.7.4]

5 सीपीएसई के मामलें में सार्वजनिक उपक्रमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के विभाग को समझौता ज्ञापन के प्रस्तुतीकरण में विलंब तथा अंतिम एमओयू में हस्ताक्षर करने को भी देखा गया।

[पैरा 5.7.6]

VI. सीपीएसई के संयुक्त उद्यम परिचालन

लेखापरीक्षा महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न के रूप में श्रेणीगत सीपीएसईज को कवर करता है। यहाँ सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न के रूप में श्रेणीगत 98 सीपीएसईज थी (मई 2017)। उनमें से, 46 सीपीएसईज के पास कोई जेवी नहीं है और उसी अनुसार 52 सीपीएसईज (7 महारत्न, 17 नवरत्न और 28 मिनीरत्न) इस समीक्षा के अन्तर्गत कवर की गई थी:

- 251 निगमित जेवी जिनके लिए सूचना उपलब्ध थी, उनमें 84 जेवी में जेवी सहयोगियों का चयन सरकार के निर्देशानुसार, 19 जेवी में खुली निविदा द्वारा, 75 जेवी में सीपीएसईज द्वारा पहचाने गये कुछ भावी सहयोगियों से विकल्प के माध्यम से, 49 जेवी में नामित आधार पर और 24 मामलों में सीवीएसई पहले से मौजूद जेवी द्वारा निवेश किया गया था।

(पैरा 6.7.1)

- 4 सीपीएसई ने कम से कम दो गैर अधिकारी निदेशकों को प्रस्तुत किये बिना निदेशक मंडल की बैठक में जेवी के गठन के प्रशंसा की

(पैरा 6.7.1.(i))

- 3 सीपीएसई के संदर्भ में जेवी के प्रबंधन एवं प्रचालन में सीपीएसई का प्रस्तुतीकरण जेवी के करार के अनुसार नही था।

(पैरा 6.7.1.(ii))

- किसी भी महारत्न/नवरत्न सीपीएसई ने गठित जेवी की विस्तृत सूची और अर्द्ध-वार्षिक आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग को उसकी स्थिति प्रस्तुत नहीं की थी।

(पैरा 6.7.2)

- 158 निगमित जेवी; जिनके लिए सूचना प्राप्त की गई थी, में से वर्ष 2016-17 में 76 जेवी ने लाभ कमाया, 64 जेवी ने हानि उठाई और केवल 18 जेवी ने लाभ अर्जित किया परंतु उन्हें संचित हानि हुई।

(पैरा 6.7.3)

- जेवी गठित करते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने डीपीई दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए निदेशक मंडल का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले परियोजना वाणिज्यिक व्यवहारिकता सुनिश्चित करने के लिए कोई पायलट अध्ययन नहीं किया।

(पैरा 6.7.4)

- ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने ₹ 300 करोड़ से अधिक निवेश वाली ई एंड पी परियोजनाओं के लिए केबीनेट समिति के स्थान पर ओएनजीसी से ₹11239.83 करोड़ का निवेश अनुमोदन प्राप्त किया।

(पैरा 6.7.5)

VII. सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के प्रावधानों की अनुपालना

सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के प्रावधानों की अनुपालना की समीक्षा में विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 18 सूचीबद्ध सीपीएसई शामिल किए गए। छोटे और लघु उद्यमों हेतु सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के प्रावधानों की अनुपालना यद्यपि अप्रैल 2015 से आवश्यक है, परन्तु कुछ सीपीएसई

द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। लेखापरीक्षा में शामिल की गई 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान निम्नलिखित देखा गया:

- सीपीएसई को एमएसई से उनकी कुल खरीद का न्यूनतम 20 प्रतिशत की खरीद करना आवश्यक था। 18 चयनित सीपीएसई में से 7 ने 2015-16 से 2016-17 के दौरान एमएसई से उनकी कुल खरीद का न्यूनतम 20 *प्रतिशत* का लक्ष्य प्राप्त किया।

[पैरा 7.5.1 (क)]

- एमएसई से माल और सेवाओं की निर्दिष्ट प्रतिशतता की खरीद नीति के अनुपालन की रिपोर्ट देते समय नौ सीपीएसई ने अपनी खरीद की काफी बड़ी मात्रा छोड़ दी।

[पैरा 7.5.1 (ख)]

- 8 सीपीएसई में एमएसई को काफी अधिक बकाया देय थे यद्यपि 45 दिनों में ऐसे भुगतान करना आवश्यक था।

[पैरा 7.5.2]

- नीति के खरीद प्राथमिकता खण्ड के प्रावधानों का 18 चयनित सीपीएसई में से 11 सीपीएसई ने अनुपालन किया और खण्ड के प्रावधान की अनुपालना के कारण कुल 5553 एमएसई को लाभ हुआ।

[पैरा 7.5.4]

- एमएसई से खरीद हेतु नामित मदों की चार सीपीएसई द्वारा गैर एमएसई से खरीद की जा रही थी।

[पैरा 7.5.5]

- 18 चयनित सीपीएसई में से आठ ने अपनी वैबसाईट पर एमएसई से अपनी वार्षिक योजना अपलोड नहीं की थी और पांच सीपीएसई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एमएसई से खरीद लक्ष्यों के लक्ष्य और प्राप्ति की रिपोर्ट की।

[पैरा 7.5.7]

- समझौता ज्ञापन के अंतर्गत लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति के लिए सीपीएसई की रेटिंग में अंकों की कटौती द्वारा डाउनग्रेडिंग नीति के अकार्यन्वयन के प्रति अधिक हतोत्साही साबित नहीं हुई है।

[पैरा 7.6]

VIII. चयनित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसईज़) में भारतीय लेखांकन स्टैण्डर्ड के कार्यान्वयन का प्रभाव

निगम मामले मंत्रालय ने भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एस) को अधिसूचित किया था जो वित्तीय वर्ष 2016-17 से चरणाबद्ध रूप में कंपनियों के लिए लागू थे। महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपनियों वाले 67 सीपीएसई जिन्होनें 01 अप्रैल 2016 से अपने उनके वित्तीय विवरण तैयार करने में इंड-एस को स्वीकार किया, के एकल वित्तीय विवरणों का केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) पर भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन के प्रभाव की समीक्षा हेतु चयन किया गया था। उनके राजस्व, कर बाद लाभ (पीएटी), निवल सम्पत्ति और सीपीएसई की कुल परिसंपत्तियों पर इन सीपीएसई में इंड-एस के कार्यान्वयन के प्रभाव की समीक्षा की गई। उक्त तिथि को भारतीय सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (आईजीएएपी) के अनुसार संबंधित मूल्यों की तुलना में इंड-एएस के अनुसार 31 मार्च 2016 तक मूल्यों की तुलना द्वारा प्रभाव का आकलन किया गया था।

[पैरा 8.1, 8.3]

कर बाद लाभ पर प्रभाव (पीएटी)

इंड-एस अपनाने के परिणामस्वरूप रक्षा क्षेत्र, आधारभूत सरंचना क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और शिपिंग क्षेत्र में सीपीएसई में लाभ में वृद्धि देखी गई थी जबकि संचार क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, उर्वरक खेत्र, धातु क्षेत्र और खनन खेत्र ने कमी हुई। समीखा किए गए 67 सीपीएसई में से 39 सीपीएसई ने (58 प्रतिशत) के मामले में लाभ में वृद्धि हुई, जबकि 28 सीपीएसई में (42 प्रतिशत) मामले में लाभ में कमी हुई।

इन्फ्रास्ट्रक्चर सैक्टर में सीपीएसई के कर बाद लाभ में ₹ 412.53 करोड़ की अधिकतम वृद्धि देखी गई जबकि ऊर्जा सेक्टर में सीपीएसई के पीएटी में ₹ 1454.20 करोड़ की अधिकतम कमी देखी गयी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंड-एएस के अंगीकरण के कारण लाभ में ₹ 375.99 करोड़ अधिकतम वृद्धि दर्ज की जबकि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के संबंध में ₹ 1835 करोड़ लाभ की कमी दर्ज की थी।

[पैरा 8.7]

राजस्वों पर प्रभाव

इंड-एएस के अंगीकरण के परिणामस्वरूप समीक्षा किए गए सीपीएसईज़ में से 45 सीपीएसीई (67 प्रतिशत) ने इंड-एएस को अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व पर समायोजन किये। इन सीपीएसी में से 20 सीपीएसईज़ (44 प्रतिशत) ने वृद्धि सूचित की

तथा 25 सीपीएसईज़ (56 प्रतिशत) ने राजस्व में कमी सूचित की। कम्पनियों के राजस्व में ₹ 29691.18 करोड़ की समग्र अधिकतम वृद्धि उर्जा क्षेत्र से संबंधित सीपीएसईज़ में देखी गई थी।

[पैरा 8.9]

कुल परिसम्पत्तियों पर प्रभाव

समीक्षा किए गए 67 सीपीएसई में से 49 सीपीएसई ने (73 प्रतिशत) इंड-एएस के अंगीकरण के ने परिणामस्वरूप कुल परिसम्पतियों के मूल्य का समायोजन किया। इनमें से, 29 सीपीएसई (59 प्रतिशत) ने मूल्य में वृद्धि सूचित की और 20 सीपीएसई ने (41 प्रतिशत) परिसम्पतियों के कुल मूल्य में कमी सूचित की। संचार क्षेत्र में सीपीएसई के मामले में कुल परिसम्पतियों के मूल्य में ₹ 73560 करोड़ की अधिकतम वृद्धि देखी गई जबकि रक्षा क्षेत्र सीपीएसई के मामले में ₹ 1095.99 करोड़ की अधिकतम कमी देखी गई।

[पैरा 8.10]

निवल सम्पत्ति पर प्रभाव

समीक्षा किए गए सीपीएसई में से 66 सीपीएसई ने (99 प्रतिशत) ने इंड-एएस के अंगीकरण के परिणामस्वरूप निवल सम्पत्ति के मूल्य का समायोजन किया। इनमें से 46 सीपीएसई (70 प्रतिशत) ने निवल सम्पत्ति में वृद्धि सूचित की और 20 सीपीएसई (30 प्रतिशत) ने निवल सम्पत्ति में कमी सूचित की। संचार क्षेत्र के सीपीएसई के संबंध में ₹ 58383.81 करोड़ की निवल सम्पित्त में वृद्धि देखी गई जबकि माइनिंग सेक्टर के सीपीएसई के संबंध में ₹ 4719.76 करोड़ की कमी देखी गई।

[पैरा 8.11]